## बिहार सरकार,
## कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को0–33/2016– 3288 /कृ0, पटना, दिनांक 17/8/2017

प्रेषक,

**सुधीर कुमार,**
प्रधान सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार बिहार,**
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषयः– **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन मद में 11479.88 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अठासी हजार) रूपये, गैर वेतन मद में 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363.00 लाख (तीन करोड़ तीरसठ लाख) रूपये कुल 12942.88 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ बयालीस लाख अठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन मद में 11479.88 लाख (एक अरब चौदह करोड़ उनासी लाख अठासी हजार) रूपये, गैर वेतन मद में 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) रूपये तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 363.00 लाख (तीन करोड़ तीरसठ लाख) रूपये कुल 12942.88 लाख (एक अरब उनतीस करोड़ बयालीस लाख अठासी हजार) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 33 के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, विश्वविद्यालय के आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं से संबंधित प्राक्कलित व्यय से अन्यून अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इसके आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन स्थायी भाग (कमिटेड देनदारी) के अधीन विश्वविद्यालय के मुख्यालय के अतिरिक्त कृषि अनुसंधान संस्थान, पटना/बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ बिहार कृषि महाविद्यालय, सबौर, मिट्टी सर्वेक्षण योजना, सबौर/क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, अगवानपुर, सहरसा/संजय गाँधी गव्य संस्थान, पटना में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी के पद पर कार्यरत बल एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान की जाने वाली पेंशन की राशि की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है तथा इसके अधीन बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना तथा संजय गाँधी गव्य संस्थान, पटना कार्यरत है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में तत्काल इन महाविद्यालयों के कर्मियों के लिए भी वेतनादि मद में बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित बजट शीर्ष में राशि उपबन्धित की गयी थी तद्नुसार इस वर्ष इन महाविद्यालयों के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए कार्यक्रम बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ स्वीकृत किया गया है। अगले वर्ष से इन महाविद्यालयों को वेतनादि के भुगतान के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए बजट उपबंध एवं स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी।

3. स्वीकृत राशि नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को विमुक्त किया जायेगा। नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना तथा संजय गाँधी गव्य संस्थान, पटना को वेतनादि मद में आकलित राशि बिहार

पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को विमुक्त किया जायेगा। परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में कर्णांकित राशि का व्यय विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन के बाद किया जायेगा।

4. राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद में स्वीकृत पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन/पेंशन आदि का भुगतान बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत राशि निम्न प्रकार से बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा,

(राशि लाख रूपये मे)

| बजट शीर्ष | उपबंधित राशि | विकलनीय राशि |
|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01–फसल कृषि कर्म, लघु शीर्ष–277– शिक्षा, उपशीर्ष–0008–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर विपत्र कोड–01–2415012770008, | | |
| विषय शीर्ष– 0008.31.04 सहायक अनुदान वेतन | 11479.88 | 11479.88 |
| विषय शीर्ष– 0008.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण | 363.00 | 363.00 |
| विषय शीर्ष– 0008.31.06 सहायक अनुदान –गैर वेतन | 1100.00 | 1100.00 |
| कुल | 12942.88 | 12942.88 |

6. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 12942.88 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय के द्वारा बजट में उपबंधित मदों के अनुसार राशि का व्यय किया जायेगा। मदवार व्यय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

7. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

10. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 3758, वि0, दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 08.08.2017 को स्वीकृति संचिका संख्या–4/कृ०शि०को0–33/2016 की पृ0सं0–40/टि० पर प्राप्त है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 4/कृ० शि०को– 33/2016 के पृ0सं0– 42/टि० पर दिनांक– 11.08.2017 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
17.8.2017
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को0–33/2016– 3288 /कृ0, पटना, दिनांक 17/8/, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/उप महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.8.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को0–33/2016– 3288 /कृ0, पटना, दिनांक 17/8/, 2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.8.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को0–33/2016– 3288 /कृ0, पटना, दिनांक 17/8/, 2017

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.8.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 4/कृ०शि०को0–33/2016– 3288 /कृ0, पटना, दिनांक 17/8/, 2017

प्रतिलिपि:– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/ सचिव, कृषि के आप्त सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना/ मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा/बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

17.8.2017
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।